न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, श्रीगंगानगर

26.06.2025 प्रार्थिया श्रीमती केसर देवी पत्नी मुंशीराम (माता–धनी पत्नी श्री आसाराम) जाति बावरी उम्र 73 साल निवासी गांव 4 सी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) हाल गांव थोपरियां मिर्जापुर तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय हाजा में दावा प्रस्तुत किया है जिसमें राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद में राज्य सरकार को 60 दिवस पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है क्योंकि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थिया को बिना नोटिस दिये दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अधिवक्ता प्रार्थिया को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। इसलिए प्रार्थिया को 60 दिवस पूर्व राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को नोटिस प्रेषित करने की बाध्यता से छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:24:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थिया को दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 26/06/25